

प्रेस नोट दिनांक- 05.01.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

अन्तर्जनपदीय 02 गोस्तकरों को थाना लीलापुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ट्रक सीज

गिरफ्तार गोस्तकरों पर विभिन्न जनपदों में दर्ज है 17 से अधिक अभियोग

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र लीलापुर के ग्राम लीलापुर से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 38 राशि गौवंश, घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन ट्रक ओपेन, 03 अदद नम्बर प्लेट कूटरचित, एक अदद बोरी में बन्द 66 रस्सी विभिन्न नाप, एक अदद बोरी में बन्द 04 रस्सी बडी, एक अदद तिरपाल रस्सी से बंधी हुयी, कुल 900/- रुपया व 02 अदद मोबाइल (एक एन्ड्राइड व एक कीपैड मोबाइल) बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दि0-05.01.2025 को थाना लीलापुर के उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय उ0नि0 श्री शहंशाह खान मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति, हे0का0 प्रेमपाल सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 प्रेमदत्त, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 गौरव यादव, का0 प्रमेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन, तलाश वांछित व वारण्टी अभियुक्त, रात्रि गस्त व रोकथाम जुर्म जरायम करते हुये ग्राम लीलापुर से 02 अभियुक्तों को गोवध अधिनियम से संबंधित अभियोग में गिरफ्तार कर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 04/2025 धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 शहंशाह खान, हे0का0 अजय प्रजापति, हे0का0 प्रेमपाल सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 प्रेमदत्त, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 गौरव यादव, का0 प्रमेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन, तलाश वांछित व वारण्टी अभियुक्त, रात्रि गस्त व रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान मुखबिर की सूचना पर दि0-05.01.2025 को 02 अभियुक्तों, 01. इजहार पुत्र बाबू उर्फ महबूब निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर, 02. शबाब हुसैन पुत्र इबनुल हुसैन निवासी ग्राम बड़ा गाँव थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को थाना लीलापुर क्षेत्र के ग्राम लीलापुर से कुल 38 राशि गौवंश, घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन ट्रक ओपेन, 03

अदद नम्बर प्लेट कूटरचित, एक अदद बोरी में बन्द 66 रस्सी विभिन्न नाप, एक अदद बोरी में बन्द 04 रस्सी बडी, एक अदद तिरपाल रस्सी से बंधी हुयी, कुल 900/- रुपया व 02 अदद मोबाइल (एक एन्ड्राइड व एक की पैड मोबाइल) के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन ट्रक को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 04/2025 धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. इजहार पुत्र बाबू उर्फ महबूब निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर ।

02. शबाब हुसैन पुत्र इबनुल हुसैन निवासी ग्राम बड़ा गाँव थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ।

अभियुक्त इजहार पुत्र बाबू उर्फ महबूब निवासी पटैला थान खुटहन जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 392/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

2. मु0अ0सं0 74/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बारा सगवर जनपद उन्नाव ।

3. मु0अ0सं0 75/19 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना बारा सगवर जनपद उन्नाव ।

4. मु0अ0सं0 79/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बारा सगवर जनपद उन्नाव ।

5. मु0अ0सं0 109/20 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना बारा सगवर जनपद उन्नाव ।

6. मु0अ0सं0 527/20 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(1)(d) पशु क्रूरता अधिनियम थाना बिधुना जनपद औरया ।

7. मु0अ0सं0 02/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 419/420/467/468/471 भादवि थाना थरवई जनपद प्रयागराज ।

8. मु0अ0सं0 24/24 धारा 174A भादवि थाना थरवई जनपद प्रयागराज ।

9. मु0अ0सं0 169/24 धारा 3/5A/8 गोवध 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भादवि थाना अली नगर जनपद चंदौली ।

10. मु0अ0सं0 319/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अली नगर जनपद चंदौली ।

11. मु0अ0सं0 30/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11DE पशु क्रूरता अधिनियम थाना कुडवार जनपद सुल्तानपुर ।

12. मु0अ0सं0 04/2025 धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त शबाब हुसैन पुत्र इबनुल हुसैन निवासी बडा गांव थाना शाहगंज जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 157/20 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भादवि थाना मइल जनपद देवरिया ।

2. मु0अ0सं0 164/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मइल जनपद देवरिया ।

3. मु0अ0सं0 494/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ ।

4. मु0अ0सं0 391/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ ।

5. मु0अ0सं0 04/2025 धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

01. कुल 38 राशि गौवंश

02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन ट्रक ओपेन

03. 03 अदद नम्बर प्लेट कूटरचित

04. एक अदद बोरी में बन्द 66 रस्सी विभिन्न नाप

05. एक अदद बोरी में बन्द 04 रस्सी बडी

06. एक अदद तिरपाल रस्सी से बंधी हुयी

07. कुल 900/- रुपया

08. 02 अदद मोबाइल (एक एन्ड्राइड व एक कीपैड मोबाइल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय उ0नि0 शहंशाह खान हे0का0 अजय प्रजापति, हे0का0 प्रेमपाल सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 प्रेमदत्त, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 गौरव यादव, का0 प्रमेश यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के निरी0 विनोद कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अनुपम पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त, मु0नं0 95/07 NCR-103/06 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 01. रामधन पुत्र गिरधारी लाल निवासी खैरा गौरवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ व मु0नं0 163/05 अ0सं0 217/2004 धारा 419, 420, 482, 486, 488, भादवि व 63/60 कापीराईट एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 02. बासदेव मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी बड़ी बभनी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामधन पुत्र गिरधारी लाल निवासी खैरा गौरवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

02. बासदेव मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी बड़ी बभनी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- निरी0 विनोद कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अनुपम पटेल थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के उ0नि0 मत गंजन मिश्र मय हमराह उ0नि0 शुभनाथ साहनी, कां0 उपेन्द्र यादव का0 अनिल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त, मु0नं0 15198/21 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना अन्तू से सम्बन्धित अभियुक्त 01. रमेश पुत्र

श्रीराम नि० बहेरा जोगीपुर थाना अन्तू प्रतापगढ़ व मु०नं० 09/019 अ०स० 463/18 धारा 457,380, भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त 02. सौरभ पाण्डेय पुत्र आनन्द कुमार पाण्डेय निवासी बहेरा जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रमेश पुत्र श्रीराम निवासी बहेरा जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

02. सौरभ पाण्डेय पुत्र आनन्द कुमार पाण्डेय निवासी बहेरा जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ०नि० मत गंजन मिश्र मय हमराह उ०नि० शुभनाथ साहनी, कां० उपेन्द्र यादव का० अनिल यादव थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ०नि० अरुण कुमार मौर्या मय हमराह का० अनुराग शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मु०नं० 1584/2001 अ०सं०-21/1990 धारा- 323, 504, 506, 427 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त शिवप्रताप सिंह पुत्र स्व० विक्रमादित्य सिंह निवासी ग्राम नौबस्ता थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवप्रताप सिंह पुत्र स्व ० विक्रमादित्य सिंह निवासी ग्राम नौबस्ता थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० अरुण कुमार मौर्या मय हमराह का० अनुराग शुक्ला थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ०नि० आदित्य पाण्डेय मय हमराह कां० तेजप्रकाश,, कां० रामजी यादव व का० नरेन्द्र अहिरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मु०नं०-580/22 धारा 323, 504, 506, 452, 427, 354 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 01. सुनील पुत्र स्व० हीरालाल 02. कुलदीप पुत्र स्व० हीरालाल निवासीगण ग्राम बरियावां थाना नवाबगंज प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुनील पुत्र स्व० हीरालाल निवासी ग्राम बरियावां थाना नवाबगंज प्रतापगढ़ ।
2. कुलदीप पुत्र स्व० हीरालाल निवासी ग्राम बरियावां थाना नवाबगंज प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० आदित्य पाण्डेय मय हमराह कां० तेजप्रकाश,, कां० रामजी यादव व का० नरेन्द्र अहिरवार थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।